

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9.5.18

आज पन्नावली राजस्व लोक अदालत कमिशन न्याय भवन के डाय 2018 कैम्प शुरू के प्रत्यक्ष दर्श-1 दौरान कैम्प मजसे डाय से सुनवाई की गई तथा पन्नावली का इमान सर्वे कर अवलोकन किया। तहसीलदार नगर डाय पर प्रकरण जमाबंदी सेरीगेशन के दौरान खाता दुकली काबल धारा 136 L.R.Act के अन्तर्गत प्रत्यक्ष किया है जो ख-क 659, 600, 661, 700, 701, 711, 712, 713, 714, 715, 716 क्रि. 11 रकमा 2.55 हेरे. बाहे शाय शुरू की काबल प्रत्यक्ष क्रि. है जिसके हिले में न्या. सं. 1313, 1430, से कंगर होना कंगर करते हुए हिले दुकली करने का विवेदन क्रि. है. जिसके उक्त मुद्दे प्र. प्रबंध के बंद की होना स्थायित है। राजस्व न्याय अर्थात् 1956 की धारा 136 के अनुसार राजस्व-दिकार से मुद्देकला लिपि की प्र मुद्दे या कंगर के डाय स्वीकृत मुद्दे के लिख ही हो सकता है, पर प्रकरण प्र. प्रबंध के दौरान लिपि की प्र मुद्दे का नहीं है। कानूनी राजस्व मंडल ने RRD 1989 धारा 59 पर हरीरत 1/5 नदरत से फाटित निर्णय के पर अनिपारित क्रि. है कि - "Rajasthan Land-Redemption Act section-136 - After closing of settlement Dept. except in proceedings and applications pending at close of record operations." इस प्रकार धारा 136 L.R.Act के इस प्रकार से सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय में नहीं रह जाता है। किंतु पर प्रकरण इसी स्टेज पर स्थायित क्रि. जाता है प्रकरण में धारा 166 L.R.Act अधिन 88-89 R.L.A. के अन्तर्गत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित है। पन्नावली फौजदार मुद्दे को शामिल करवा है।

*[Handwritten signature]*

न्याय  
कह सं. 6  
1. राजस्व  
2. उपा  
3. स  
4. प्र  
5. 58

1. य  
के

2.

3.